

आवेदनपत्र जांचसूची

यह आवेदनपत्र जांचसूची आपको उन सूचनाओं तथा सामग्रियों के बारे में बताएगी, जिनकी आपको अपने SLEG आवेदनपत्र(त्रों) को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए जरूरत होगी। पात्रता और पूर्णता के लिए आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा।

SLEG कार्यक्रम प्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं?

866-280-9756 पर हमारी हॉटलाइन पर टोल-फ्री बात करें या ईमेल करें: SLEG@njhmfa.gov.

आपको SLEG आवेदनपत्र प्लेटफॉर्म पर किसी मान्य ईमेल पते का प्रयोग करके एक खाता बनाना होगा। पंजीकरण कराने के लिए, आपको किसी ऐसे ईमेल खाते का प्रयोग करना चाहिए जिस तक आपकी नियमित पहुंच हो, क्योंकि NJHMFA के कर्मचारी आपसे संवाद करने के लिए विशेष रूप से इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करेंगे। खाता बनाने के बाद, आप अपनी किराए की संपत्ति के लिए कोई आवेदनपत्र तैयार और प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपके पास कई पात्र संपत्तियाँ हैं, तो आपको प्रत्येक संपत्ति के लिए एक अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा, लेकिन प्रत्येक आवेदन उसी खाते के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है जिसे आपने पहले पंजीकरण किया है।

हर आवेदनपत्र को कई सूचनाओं की जरूरत होती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं पर इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- **आपका नाम** आवेदक का नाम अवश्य ही NJDCA की [पंजीकरण निरीक्षण प्रबंधन प्रणाली](#) (Registration, Inspection Management System, RIMS) में रिकार्ड पर संपत्ति के प्राथमिक मालिक के नाम के साथ दर्ज किया जाना चाहिए।
- **आपका करदाता पहचान संख्या (TIN)**। यदि आप एक व्यक्ति हैं, तो कृपया अपना नौ अंकों वाला सामाजिक सुरक्षा नंबर दर्ज करें। यदि आप एक व्यावसायिक संस्था हैं, तो कृपया यहाँ दर्ज करने के लिए [TIN](#) दर्ज करें।
- **किराए वाली संपत्ति के बारे में विवरण**, जिसमें कि [NJDCR RIMS प्रणाली](#) में रिकार्ड पर संपत्ति का पता शामिल है।
- COVID-19 प्रकोप से ठीक चार महीने पहले (दिसंबर 2019 से मार्च 2020) की अवधि तथा COVID-19 प्रकोप के ठीक बाद चार महीने की अवधि (अप्रैल 2020 से जुलाई 2020) का **आपकी संपत्ति के किराए की आय का एक वित्तीय लेखा**

दी गयी सूचनाओं को सत्यापित करने के लिए आपको तीन तरह के प्रलेखन देने होंगे:

1. W-9 कर प्रपत्र

- किराए की प्रत्येक संपत्ति के लिए, आपको अवश्य ही भरे गए W-9 कर प्रपत्र को अपलोड करना होगा, जो कि किराए की संपत्ति के लिए प्रयुक्त कर पहचान संख्या को सूचीबद्ध करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कर का सही गणना की जा सके और कोई कर बकाया नहीं है।
- भरी गई कर पहचान संख्या वाले इस प्रपत्र की आवश्यकता NJHMFA को इस बात की पुष्टि करने के लिए है कि कर का सही गणना की जा सके और कोई कर बकाया नहीं है।
- कर पहचान संख्या वह संख्या है जिसका उपयोग संघीय और / या न्यू जर्सी आयकर उद्देश्यों के लिए इस किराए की संपत्ति की आय की रिपोर्ट करते समय किया गया है। किराए की संपत्ति की कर रिपोर्टिंग के पूर्व इतिहास के आधार पर कर पहचान संख्या किसी व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा संख्या या व्यवसाय की नियोजता पहचान संख्या हो सकती है। कृपया इस किराये की संपत्ति के

2. बैंक विवरण या लेनदेन के अन्य प्रमाण।

- बैंक विवरण, या अन्य वित्तीय लेन-देन विवरण, जैसे कि Venmo या Zelle जैसे एप्लीकेशनों के माध्यम से मौद्रिक हस्तांतरण अवश्य ही कोविड महामारी के फूट पड़ने से पहले और बाद की अवधियों के लिए दर्ज होने चाहिए: दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तथा अप्रैल से जुलाई 2020.

- विवरणों को पहली अवधि में भुगतान तथा दूसरी अवधि में गैर-या कम भुगतान दर्शाते हुए स्पष्ट रूप से इन दो प्रभुगतानों के बीच किंगों की भाग में वृद्धि को दर्शाना चाहिए।
- आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट्स पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे NJHMFA के समीक्षक देख सकें कि कब आय में कमी हुई तथा संपत्ति में वृद्धि हुई।
- **अपने प्रलेखन को कैसे चिह्नित करें, इसके उदाहरण के लिए यह नमूना बैंक स्टेटमेंट देखें।**
- यदि आप केवल नकद भुगतान का उपयोग करते हैं जो कि जमा नहीं हैं, तो बैंक विवरणों के अलावा, आवेदक को मकान मालिक और किराएदार द्वारा हस्ताक्षरित नोटरी रसीदें जमा करनी होंगी।

3. पट्टा(ट्टे)।

- आपको अपने आवेदनपत्र में आप द्वारा सूचीबद्ध हर COVID-प्रभावित इकाई के लिए एक वृद्धिगत निष्पादित पट्टा अपलोड करना होगा जिसमें वृद्धिगत किंगों स्पष्ट रूप से प्रतीकित हो।
- यदि आपकी COVID-प्रभावित इकाई (इकाइयों) में दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच किराएदारी में कोई परिवर्तन हुआ हो, तो आपको इस समयवधि के दौरान निष्पादित सभी पट्टों को सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड किया जाने वाला प्रत्येक पट्टा भूस्वामी और किराएदार द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित है। प्रत्येक पट्टे में स्पष्ट रूप से बताई पट्टे की अवधि होनी चाहिए (जैसे, "महीने से महीने," "12 महीने / 1 वर्ष," "24 महीने / 2 वर्ष।") इसके अलावा प्रत्येक पट्टे में प्रति माह वसूले गए किराए को बताया जाना चाहिए। अगर आपके पट्टों में यह जानकारी शामिल नहीं है
- **उदाहरण के तौर पर यह नमूना पट्टा देखें।**

यदि NJHMFA समीक्षकों द्वारा आपका अनुदान आवेदनपत्र सशर्त अनुमोदित हो जाता है, तो आपको आवेदनपत्र पोर्टल के जरिए सूचित किया जाएगा तथा ईमेल से सतर्क किया जाएगा। इस बिंदु पर, आपको NJHMFA को मुहैया कराना होगा:

- आपके बैंक का नाम और पता
- आपके बैंक की रूटिंग संख्या (ABA संख्या)
- अपनी बैंक खाता संख्या और खाते का नाम

आप अपने चेकों के नीचे इन संख्याओं को पा सकते हैं। संख्याओं का पहला सेट बैंक की रूटिंग संख्या होती है तथा दूसरा सेट आपकी खाता संख्या होती है। कृपया सभी अग्रवर्ती शून्य शामिल करें।

इन सूचनाओं को बताते हुए, आपके बैंकिंग ब्यौरों के लिए सहायक प्रलेख, जैसे आपके बैंक का रद्द किए गए चेक अथवा पुष्टि/पत्र की भी इस बार आवश्यकता पड़ेगी।

आपके बैंकिंग ब्यौरे आवेदनपत्र पोर्टल में दर्ज करने के लिए आपके पास सशर्त अनुमोदन की अधिसूचना से पांच कारोबारी दिवस होंगे। यदि इस समय-सीमा के भीतर आप पोर्टल पर अपने ब्यौरे अपलोड करने में असफल रहते हैं, तो आप अपना अवार्ड प्राप्त करने का अपना अवसर गंवा सकते हैं।

SLEG कार्यक्रम प्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं? 866-280-9756 पर हमारी हॉटलाइन टोल-फ्री पर बात करें या ईमेल करें: sleg@njhmfa.gov.

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

कार्यक्रम संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न1: NJHMFA लघु मकान मालिक आपातकालीन अनुदान (Small Landlord Emergency Grant Program-SLEG) कार्यक्रम क्या है?

उत्तर1: SLEG कार्यक्रम ऐसा आपातकालीन आवासीय सहायता कार्यक्रम है, जिसे लघु मकान मालिकों तथा उनके किराएदारों पर COVID-19 के वित्तीय तनाव के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम किराए के भुगतान की प्रतिपूर्ति करने के लिए उन लघु मकान मालिकों को अनुदान सहायता प्रदान करता है, जो COVID-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के कारण अप्रैल, मई, जून अथवा जुलाई 2020 में नहीं किए गए थे या कम कर दिए गए थे। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अप्रैल-जुलाई 2020 के बीच उपार्जित COVID- प्रभावित इकाइयों का बकाया पिछला किराया और विलंब शुल्कों को माफ करके अपने किराएदारों को यह लाभ प्रदान करना होगा। SLEG सहायता के लिए केवल तीन तथा 30 कुल

प्रश्न2: SLEG पुरस्कार की धनराशि कैसे निर्धारित की जाती है?

उत्तर2: इस कार्यक्रम के लिए पुरस्कार की कोई न्यूनतम या अधिकतम पूर्व निर्धारित धनराशि नहीं है। इस अनुदान पुरस्कार धनराशि की गणना अप्रैल एवं जुलाई 2020 के बीच चार महीने की अवधि के लिए संपत्ति में पात्र इकाइयों की संख्या तथा हर पात्र इकाई के शुद्ध किराया कमी के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास हडसन काउंटी में 1-बेडरूम के तीन अपार्टमेंट वाली किराए की कोई संपत्ति है, जिसमें हर एक का मासिक किराया \$1,000 है। यदि आपके सभी तीनों किराएदारों की कमाई नहीं रही तथा वे अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई 2020 का कोई किराया नहीं दे पाए, तथा आपका आवेदनपत्र NJHMFA के सभी मानदंडों तथा मानकों को पूरा करता है, तो आप \$12,000 तक की अनुदान सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।

इसके बजाय, यदि आपके दो किराएदार समस्त चार महीने के अपने किराए का केवल आधा हिस्सा अदा कर पाए तथा दूसरे ने अप्रैल और मई का पूरा भुगतान किया तथा जून एवं जुलाई का कुछ भी अदा नहीं किया, तो संपत्ति के लिए आपकी कुल अनुदान धनराशि \$6,000 होगी:

$$2 \text{ यूनिट} \times \$500 \text{ प्रति माह शुद्ध किराया कमी} \times 4 \text{ महीने गैर-भुगतान (अप्रैल-जुलाई)} +$$
$$1 \text{ यूनिट} \times \$1,000 \text{ प्रति माह शुद्ध किराया कमी} \times 2 \text{ महीने का गैर-भुगतान (जून/ जुलाई)} = \text{कुल अनुदान सहायता में } \$6,000$$
 तक

[Top](#)

पात्रता संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न3: क्या मैं NJHMFA के लघु मकान मालिक आपातकालीन अनुदान कार्यक्रम (Small Landlord Emergency Grant Program) के लिए पात्र हूँ?

उत्तर3: NJHMFA के लघु मकान मालिक आपातकालीन अनुदान कार्यक्रम (Small Landlord Emergency Grant Program) का पात्र होने के लिए, आपको, आपकी संपत्ति को तथा आपकी किराए की इकाइयों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

- आप न्यू जर्सी में आवासीय किराए की किसी छोटी संपत्ति (अर्थात, सहस्वामित्व या सहकारी संपत्ति नहीं) के ऐसे प्राथमिक संपत्ति मालिक हैं, जो [पंजीकरण निरीक्षण प्रबंधन प्रणाली \(Registration Inspection Management System-RIMS\) के डेटाबेस](#) पर न्यू जर्सी सामुदायिक कार्य विभाग (New Jersey Department of Community
- आप कोई सरकारी संस्था अथवा सार्वजनिक आवास प्राधिकरण **नहीं** हैं।
- आपका कोई राज्य और स्थानीय कर बकाया नहीं है।
- आपकी संपत्ति में कम से कम तीन और 30 से अधिक कल किराए की इकाइयां (यानी अपार्टमेंट) शामिल हैं
- आपकी संपत्ति कोई मौसमी अथवा छुट्टी पर किराए पर दी जाने वाली संपत्ति **नहीं** है।
- NJDCA के RIMS डेटाबेस में आपकी संपत्ति का कोई बकाया जीवन सरक्षा कोड उल्लंघन नहीं है
- आपकी संपत्ति में कम से कम एक ऐसी **गैर-खाली** COVID- प्रभावित इकाई शामिल है, जिसने अप्रैल तथा जुलाई 2020 के बीच किराए की शुद्ध कमी का अनुभव किया है। इसका अर्थ यह है कि इस चार महीने की अवधि में किराएदार से बकाया कुल किराया इस अवधि के दौरान किराएदार द्वारा अदा की गई धनराशि से अधिक है। गैर-रिक्त का मतलब है कि आपके आवेदन में लागू होने वाले सभी महीनों के लिए इकाई पर एक किराएदार द्वारा कब्जा
- COVID- प्रभावित इकाई (इकाइयों) को प्रभारित किराए नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध अधिकतम किराए की सीमा से अधिक नहीं हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि किसी इकाई में उसके बेडरूम के आकार के लिए सीमा से अधिक किराया हो, तो वह इकाई सहायता के लिए *पूरी तरह से अयोग्य* है।

बेडरूम का आकार						
वह काउंटी जिसमें किराए की संपत्ति	स्टूडियो	1 बेडरूम	2 बेडरूम	3 बेडरूम	4 बेडरूम	5 बेडरूम
एटलांटिक काउंटी	1,182	1,266	1,518	1,754	1,956	2,159
बर्गन काउंटी	1,504	1,611	1,932	2,232	2,490	2,748
बर्लिंगटन काउंटी	1,354	1,450	1,740	2,010	2,242	2,474
कैमडेन काउंटी	1,354	1,450	1,740	2,010	2,242	2,474
केप मे काउंटी	1,202	1,288	1,546	1,785	1,992	2,197
कंबरलैंड काउंटी	1,028	1,102	1,322	1,527	1,704	1,880
एसेक्स काउंटी	1,496	1,603	1,924	2,222	2,478	2,735
ग्लोसेस्टर काउंटी	1,354	1,450	1,740	2,010	2,242	2,474
हडसन काउंटी	1,382	1,480	1,776	2,051	2,288	2,525
हंटरडन काउंटी	1,674	1,793	2,152	2,486	2,774	3,060
मर्सर काउंटी	1,564	1,676	2,012	2,324	2,592	2,861
मिडलसेक्स काउंटी	1,674	1,793	2,152	2,486	2,774	3,060
मॉनमाउथ काउंटी	1,532	1,642	1,970	2,276	2,540	2,802
मॉरिस काउंटी	1,496	1,603	1,924	2,222	2,478	2,735

ओशन काउंटी	1,532	1,642	1,970	2,276	2,540	2,802
पसाइक काउंटी	1,504	1,611	1,932	2,232	2,490	2,748
सलेम काउंटी	1,354	1,450	1,740	2,010	2,242	2,474
सॉमरसेट काउंटी	1,674	1,793	2,152	2,486	2,774	3,060
ससेक्स काउंटी	1,496	1,603	1,924	2,222	2,478	2,735
यूनियन काउंटी	1,496	1,603	1,924	2,222	2,478	2,735
वारेन काउंटी	1,448	1,552	1,862	2,151	2,400	2,648

प्रश्न4: मैं किराए की एक ऐसी संपत्ति का मालिक हूँ जो कि वर्तमान समय में न्यू जर्सी आवास निरीक्षण के सामुदायिक मामलों के ब्यूरो विभाग में पंजीकृत नहीं है क्या मैं अब इस कार्यक्रम तक पहुँच प्राप्त करने के लिए खाता खोल सकता हूँ?

उत्तर4: नहीं। आपको DCA के RIMS डेटाबेस में पंजीकृत होना चाहिए, आपका हाल ही में निरीक्षण किया गया हो और SLEG प्रोग्राम हेतु पात्र होने के लिए 22 सितंबर, 2020 तक जीवन सुरक्षा कोड का उल्लंघन नहीं किया गया हो। यह देखने के लिए जाँच करें कि क्या आप और आपकी संपत्ति पंजीकृत है।

प्रश्न5: मेरे पास ऐसी कई लघु आवासीय किराया संपत्तियां हैं जो पात्रता के मानदंडों को पूरा करती हैं। क्या मैं एक से अधिक संपत्ति के लिए SLEG सहायता के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर5: हाँ। जब तक आपकी प्रश्नाधीन सभी संपत्तियां तथा इकाइयां पात्रता के ऊपर सूचीबद्ध मानदंडों को पूरा करती हैं, आप किराए की एक से अधिक संपत्ति के लिए सहायता के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। आपको आवेदनपत्र प्लेटफॉर्म पर बस एक आवेदक खाता बनाना होगा, मगर आपको किराए की हर संपत्ति के लिए अलग आवेदनपत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदनपत्र पोर्टल के बंद होने के बाद कंप्यूटर-रैंडमाइज्ड ऑर्डरिंग सिस्टम में आपकी हर संपत्ति पर अलग से विचार किया जाएगा।

प्रश्न6: यदि मेरी संपत्ति में कई इमारतें हों, तो क्या होगा? क्या मुझे प्रति इमारत एक आवेदनपत्र प्रस्तुत करना होगा?

प्रश्न6: आपको प्रति संपत्ति एक आवेदनपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। NJDCA RIMS के डेटाबेस में हर संपत्ति की एक यूनिक दस-अंकों की संपत्ति पंजीकरण संख्या (Property Registration Number) होती है। यदि आपकी संपत्ति में कई इमारतें हों, तो वे सभी एक ही आवेदनपत्र के अंतर्गत आती हैं।

प्रश्न7: मैं न्यू जर्सी में किराए की एक छोटी संपत्ति का/की संपत्ति प्रबंधक हूँ। क्या मैं SLEG कार्यक्रम के लिए कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर7: SLEG कार्यक्रम के लिए न्यू जर्सी सामुदायिक कार्य विभाग (New Jersey Department of Community Affairs) के आवास निरीक्षण ब्यूरो (Bureau of Housing Inspection) के अभिलेख में दर्ज प्राथमिक संपत्ति का मालिक ही कोई आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र है। यदि आप संपत्ति के प्राथमिक मालिक तथा अपनी संपत्ति के प्रबंधक हैं, तो आप आवेदन करने के

लिए पात्र हैं। यदि आप उस संपत्ति का प्रबंधन करते हैं, मगर उसके मालिक नहीं हैं, तो आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। इसकी बजाय, कृपया अनुरोध करें कि आपकी संपत्ति का प्राथमिक संपत्ति मालिक आवेदनपत्र प्रस्तुत करे।

प्रश्न8: मैं कोई सरकारी संस्था अथवा सार्वजनिक आवास प्राधिकरण हूँ। क्या मैं SLEG सहायता के लिए पात्र हूँ?

उत्तर8: जी नहीं, केवल निजी संपत्ति के मालिक ही इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं।

प्रश्न9: मैं अपने स्वामित्व की किराए की छोटी संपत्ति की इकाइयों में से एक पर काबिज़ हूँ। क्या मैं इस कार्यक्रम के तहत अनुदान सहायता के लिए पात्र हूँ?

उत्तर9: किसी मालिक के कब्जे वाली इकाई की सहायता करने के लिए आप किसी SLEG पुरस्कार का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर भी, आपकी इमारत में *किराए की* अन्य इकाइयाँ यदि प्रश्न3 में सूचीबद्ध पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, तो वे प्रतिपूर्ति के लिए अर्हता प्राप्त कर सकती हैं।

कृपया ध्यान दें कि किसी पात्र संपत्ति में इकाइयों की अधिकतम संख्या, जिसमें किराएदार तथा मालिक के कब्जे वाली इकाइयाँ शामिल हैं, 30 से अधिक नहीं हो सकती।

प्रश्न10: मैं ऐसा किराया प्रभारित करता/करती हूँ जो मेरी काउंटी की कार्यक्रम सीमा से अधिक है। क्या मैं आंशिक अनुदान सहायता के लिए पात्र हूँ?

उत्तर10: जी नहीं। अनुदान सहायता केवल उन इकाइयों में किराए की घटी हुई आय की प्रतिपूर्ति करने के लिए उपलब्ध है, जिनके किराए आपकी काउंटी की अधिकतम सीमा के बराबर या कम हैं। यदि आप अपनी संपत्ति में किसी इकाई के लिए काउंटी सीमा से अधिक प्रभारित करते हैं, तो वह इकाई SLEG सहायता के लिए *अपात्र* है।

प्रश्न11: यदि मेरे सभी किराएदारों ने अपने किराए का पूरा भुगतान किया हो, तो क्या होगा?

उत्तर11: कोई भी इकाई जिसकी अप्रैल और जुलाई 2020 के बीच चार महीने की अवधि में शुद्ध किराए में कोई कमी नहीं हुई, वह SLEG सहायता के लिए पात्र नहीं है। यदि आपके सभी किराएदारों ने या तो (1) अपने किराए का पूरा भुगतान किया हो अथवा (2) इस अवधि के दौरान किसी अदत्त किराए को चुकाया हो, तो आपकी संपत्ति SLEG सहायता के लिए पात्र नहीं है।

प्रश्न12: यदि मेरा किराएदार किराए की सहायता प्राप्त करता हो अथवा उसने अनुरोध किया हो कि उसकी सुरक्षा जमा धनराशि को EO 128 के अनुसरण में उसके किराए के तौर पर रख लिया जाए, तो क्या होगा?

उत्तर12: किराएदार की ओर से किसी अन्य स्रोत अथवा उसकी सुरक्षा जमा धनराशि से अदा किया गया कोई भी किराया, किराए की कमी की गणना के प्रयोजनों से प्राप्त किराया माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका किराएदार जून अथवा जुलाई में किराए का भुगतान नहीं कर सका, मगर उसने अनुरोध किया हो कि उसकी सुरक्षा जमा राशि का प्रयोग जून के किराए के स्थान पर कर लिया जाए, तो उस किराएदार की इकाई केवल जुलाई के लिए एक महीने की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी।

प्रश्न13: क्या पात्रता अवधि के दौरान SLEG सहायता किराएदारों द्वारा वहन किए गए विलंब शुल्क को कवर करती है?

उत्तर13: SLEG अनुदान किराए के गैर-भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति करेगा, लेकिन अगर आप SLEG अनुदान प्राप्त करते हैं तो आपको अप्रैल और जुलाई 2020 के बीच सहायता प्राप्त इकाइयों में रहने वाले किराएदारों के द्वारा उपार्जित विलंब शुल्कों को माफ करना होगा।

प्रश्न14: क्या मुझे अपनी किराए की संपत्ति की सभी इकाइयों की सहायता के लिए आवेदन करने की जरूरत है, यदि उनमें से कुछ पात्रता अपेक्षाओं को पूरा नहीं करतीं?

उत्तर14: जी नहीं। प्रश्न3 में स्थापित मानदंडों के आधार पर अपात्र इकाइयों की सहायता के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा। प्रश्न11, प्रश्न12, और प्रश्न13 में उन विशिष्ट परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें आपको अपनी संपत्ति में किराए की इकाइयों के किसी उपवर्ग की सहायता के लिए ही आवेदन करना चाहिए।

प्रश्न15: यदि मेरी इमारत की केवल कुछ इकाइयाँ अधिकतम किराए की सीमा को पूरा करती हैं, तो क्या होगा?

उत्तर15: सीमा से अधिक किराए वाली इकाइयों की SLEG सहायता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा। फिर भी, उसी संपत्ति में सीमा किराए के बराबर उससे कम किराए वाली इकाइयों के लिए SLEG सहायता दी जा सकती है।

प्रश्न16: यदि COVID-19 के प्रहार के बाद मेरी इमारत के कुछ ही किराएदार अपने किराए के भुगतान में चूके हों अथवा कम भुगतान किया हो, तो क्या होगा?

उत्तर16: आपको केवल उन इकाइयों की SLEG सहायता के लिए आवेदन करना चाहिए, जिनके संबंध में अप्रैल, मई, जून अथवा जुलाई 2020 में किराए के भुगतान में चूक हुई हो या कम भुगतान किया गया हो।

प्रश्न17: यदि मेरे कुछ किराएदारों ने COVID-19 से पहले भी अपना किराया चुकता नहीं किया हो, तो क्या होगा?

उत्तर17: SLEG कार्यक्रम आवेदनपत्र में आपको मार्च में COVID-19 के प्रकोप से पहले भुगतान किए गए किराए का हिसाब देने को कहा जाएगा। यदि COVID-19 के प्रकोप (दिसंबर 2019 से मार्च 2020) से पहले के चार महीनों की शुद्ध किराया कमी, COVID-19 के प्रकोप (अप्रैल से जुलाई 2020) के बाद के चार महीनों की शुद्ध किराया कमी से अधिक हो, तो वह इकाई सहायता के लिए पात्र नहीं होगी क्योंकि किराए के इस गैर-भुगतान का कारण तार्किक रूप से COVID-19 को नहीं ठहराया जा सकता है। केवल वही इकाइयाँ पात्र होंगी, जिनमें अप्रैल से जुलाई 2020 तक किराए का गैर-भुगतान, COVID से पहले की तिमाही की कमी से अधिक होगा।

प्रश्न18: यदि COVID-19 आपातकाल के दौरान मेरी इमारत की इकाइयाँ खाली रही हों, तो क्या होगा?

उत्तर18: SLEG कार्यक्रम के तहत केवल कब्जे वाली इकाइयाँ सहायता के लिए पात्र हैं। प्रदान की जाने वाली अवधि अर्थात अप्रैल से जुलाई 2020 तक के दौरान खाली पड़ी किसी इकाई को कोई प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी। COVID से प्रभावित ऐसी इकाइयाँ जो मार्च 2020 में COVID-19 के प्रकोप से पहले खाली थीं, लेकिन मार्च के बाद उनमें बसावट हो गयी, तो वे तब सहायता के लिए पात्र हो सकती हैं यदि वे पात्रता के अन्य सभी मानदंड पूरे करती हों।

प्रश्न19: यदि मेरी संपत्ति में वाणिज्यिक तथा आवासीय - दोनों स्थान हों, तो क्या होगा?

उत्तर19: SLEG सहायता *आवासीय* किराए की इकाइयों वाले केवल ऐसे आवेदकों के लिए उपलब्ध है, जिनमें अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच किराएदार रहते थे। कही गई बातों के ऊपर विचार करते हुए, यदि मिश्रित उपयोग वाली इमारत में तीन या अधिक आवासीय किराए की इकाइयों के अलावा एक व्यावसायिक स्थान होता है, तो वे सहायता के लिए पात्र होंगे, जब तक कि कार्यक्रम के अन्य मानक पूरे नहीं हो जाते।

Top

आवेदनपत्र संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न20: मैं SLEG कार्यक्रम के लिए कैसे आवेदन करूँ?

उत्तर20: इस अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए, आपको किसी मान्य, सुगम्य ईमेल पते का प्रयोग करके आवेदनपत्र प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा खाता बनाना होगा जिसकी आप नियमित रूप से जांच करते रहें। जब आप कोई खाता बना लेते हैं, तो आप अपनी किराए की संपत्ति के लिए कोई आवेदनपत्र तैयार और प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपके पास कई पात्र संपत्तियां हों, तो आपको हर संपत्ति के लिए एक अलग आवेदनपत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको हर आवेदनपत्र के लिए संपर्क, टैक्स तथा वित्तीय सूचनाएं देने की जरूरत होगी, साथ ही आपके द्वारा दी गई सूचनाओं को सत्यापित करने के लिए सहायक प्रलेखन देने की जरूरत होगी। ऑनलाइन आवेदन **28 सितंबर को दोपहर 12 बजे EDT** www.njhousing.gov/rentals/sleg पर

प्रश्न21: क्या आवेदन करने के लिए मुझे इंटरनेट की जरूरत है? मैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई आवेदनपत्र कैसे जमा कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर21: आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के लिए आपको इंटरनेट एक्सेस की जरूरत होगी। आप आवेदनपत्र पोर्टल को कंप्यूटर या वेब-सुलभ मोबाइल उपकरण अथवा टैबलेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। हम बेहतरीन अनुभव के लिए Firefox या Chrome का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं।

प्रश्न22: किराए की संपत्ति के लिए NJHMFA के आवेदनपत्र प्लेटफॉर्म पर आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के लिए कौन प्राधिकृत है?

उत्तर22: NJDCA के आवास निरीक्षण ब्यूरो (Bureau of Housing Inspection) के यहाँ पंजीकृत केवल प्राथमिक संपत्ति मालिक, किराए की संपत्ति के लिए कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत है।

प्रश्न23: क्या आवेदनपत्र कई भाषाओं में उपलब्ध होगा?

उत्तर23: NJHMFA ऑनलाइन आवेदनपत्र अंग्रेजी तथा स्पेनिश में उपलब्ध कराएगा। NJHMFA ने कम से कम 10 निम्नलिखित अतिरिक्त भाषाएं बोलने वालों की सहायता करने के लिए भाषांतर सेवाओं का अनुबंध किया है: अरबी, मंदारिन, कैंटोनीज़, गुजराती, हिंदी, इतालवी, कोरियाई, पोलिश, पुर्तगाली तथा टैगालॉग।

आवेदक एक कारोबारी दिवस के भीतर किसी ऐसे प्रतिनिधि से कॉल प्राप्त करने के लिए languagehelp@njhmfa.gov से संपर्क कर सकते हैं जो उनके साथ उनकी प्राथमिक भाषा में बात कर सकते हों।

प्रश्न24: क्या आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के लिए मुझे किसी ईमेल पते की जरूरत है?

उत्तर24: आपको किसी ऐसे मान्य, सुलभ ईमेल पते की जरूरत होगी जिसकी आप आवेदनपत्र पोर्टल पर खाता बनाने तथा आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से जांच करते हों। इस ईमेल पते का प्रयोग NJHMFA आपको अपने आवेदनपत्र पर लिए गए निर्णय बताने तथा इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड भुगतान के लिए बैंकिंग ब्यौरों का अनुरोध करने के लिए भी करेगा। अपने आवेदनपत्र (5 कारोबारी दिन) से संबंधित समस्याओं का समाधान करने तथा सशर्त अवार्ड (5 कारोबारी दिन) पर बैंकिंग ब्यौरे अपलोड करने की संक्षिप्त समय-सीमा को देखते हुए, कृपया सुनिश्चित करें कि आप इस ईमेल, विशेष रूप से स्पैम/जंक फ़ोल्डरों की लगातार जांच कर रहे हैं।

प्रश्न25: मुझे अपने आवेदनपत्र के लिए कौन-सी सूचनाएं एकत्र करनी होंगी?

उत्तर25: आपको अपने बारे में संपर्क तथा टैक्स संबंधी सूचनाओं की (अर्थात्, प्राथमिक संपत्ति मालिक) तथा अपनी संपत्ति एवं किराए की इकाइयों के बारे में वित्तीय सूचनाओं की जरूरत होगी। सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं, किंतु इन तक ही सीमित नहीं हैं:

- **आपका नाम** आवेदक का नाम अवश्य ही NJDCA की [पंजीकरण निरीक्षण प्रबंधन प्रणाली](#) (RIMS) में रिकार्ड पर संपत्ति के प्राथमिक मालिक के नाम से मैच करना चाहिए अन्यथा आपके आवेदन को नकारा जा सकता है।
- **आपका करदाता पहचान संख्या (Taxpayer Identification Number, TIN)**। यदि आप एक व्यक्ति हैं, तो कृपया अपना नौ अंकों वाला सामाजिक सुरक्षा नंबर दर्ज करें। यदि आप एक व्यावसायिक संस्था हैं, तो कृपया यहाँ दर्ज करने के लिए उपयुक्त करदाता पहचान संख्या (SSN या EIN) को खोजने के लिए [IRS](#)
- **किराए वाली संपत्ति के बारे में विवरण**, जिसमें कि [NJDCR RIMS प्रणाली](#) में रिकार्ड पर संपत्ति का पता शामिल है।
- **COVID-19 प्रकोप से ठीक चार महीने पहले (दिसंबर 2019 से मार्च 2020) की अवधि तथा COVID-19 प्रकोप के ठीक बाद चार महीने की अवधि (अप्रैल 2020 से जुलाई 2020) का आपकी संपत्ति के किराए की आय का एक वित्तीय लेखा।**

प्रश्न26: इस कार्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मुझे कौन से प्रलेख देने की जरूरत होगी?

उत्तर26: वेब आवेदनपत्र में आपके द्वारा दर्ज सूचनाएं सत्यापित करने के लिए आपको तीन तरह के प्रलेखन देने की जरूरत होगी।

2. W-9 कर प्रपत्र

1. किराए की प्रत्येक संपत्ति के लिए, आपको अवश्य ही भरे गए W-9 कर प्रपत्र को अपलोड करना होगा, जो कि किराए की संपत्ति के लिए प्रयुक्त कर पहचान संख्या को सूचीबद्ध करता है। यह प्रपत्र IRS [वेबसाइट](#) पर उपलब्ध है।
 2. भरी गई कर पहचान संख्या वाले इस प्रपत्र की आवश्यकता NJHMFA को इस बात की पुष्टि करने के लिए होती है कि क्या नया चर्मी गन्ना की नगद कोर्ट का नकारा नहीं है।
 3. कर पहचान संख्या वह संख्या है जिसका उपयोग संघीय और / या न्यू जर्सी आयकर उद्देश्यों के लिए इस किराए की संपत्ति की आय की रिपोर्ट करते समय किया गया है। किराए की संपत्ति की कर रिपोर्टिंग के पूर्व इतिहास के आधार पर कर पहचान संख्या किसी व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा संख्या या व्यवसाय की नियोक्ता पहचान संख्या हो सकती है। कृपया इस किराये की संपत्ति के
3. **बैंक विवरण या लेनदेन के अन्य प्रमाण।**

1. बैंक विवरण, या अन्य वित्तीय लेन-देन विवरण, जैसे कि Venmo या Zelle जैसे एप्लीकेशनों के माध्यम से मौद्रिक हस्तांतरण अवश्य ही कोविड महामारी के फूट पड़ने से पहले और बाद की अवधियों के लिए दर्ज करें।
 2. विवरणों को पहली अवधि में भुगतान तथा दूसरी अवधि में गैर-या कम भुगतान दर्शाते हुए स्पष्ट रूप से इन दो समयवर्धियों के बीच किराये की भाय में वृद्धि को दर्शाना चाहिए।
 3. आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट्स पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे NJHMFA के समीक्षक देख सकें कि कब आय में कमी हुई तथा संपत्ति में कौन-सी इकाइयाँ बढ़ीं।
 4. **अपने प्रलेखन को कैसे चिह्नित करें, इसके उदाहरण के लिए यह नमूना बैंक स्टेटमेंट देखें।**
 5. यदि आप केवल नकद भुगतान का उपयोग करते हैं जो कि जमा नहीं हैं, तो बैंक विवरणों के अलावा, भावनात्मक को मकान मालिक और किराएदार तथा हस्ताक्षरित नोटरी रसीदें जमा करनी होंगी।
4. **पट्टा(टूटे)।**
1. आपको अपने आवेदनपत्र में आप द्वारा सूचीबद्ध हर COVID-प्रभावित इकाई के लिए एक हालिया, निष्पादित पट्टा अपलोड करना होगा जिसमें प्रभावित किराया स्पष्ट रूप में सूचीबद्ध हो।
 2. यदि आपकी COVID-प्रभावित इकाई (इकाइयों) में दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच किराएदारी में कोई परिवर्तन हुआ हो तो आपको हम समयवर्धियों के दौरान निष्पादित सभी पट्टों को शामिल करना होगा।
 3. सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड किया जाने वाला प्रत्येक पट्टा भूस्वामी और किराएदार द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित है। प्रत्येक पट्टे में स्पष्ट रूप से बताई पट्टे की अवधि होनी चाहिए (जैसे, "महीने से महीने," "12 महीने / 1 वर्ष," "24 महीने / 2 वर्ष।") इसके अलावा प्रत्येक पट्टे में प्रति माह वसूले गए किराए को बताया जाना चाहिए। अगर आपके पट्टों में यह जानकारी शामिल नहीं है तो आपका आवेदन इनकार के लिए अयोग्य होगा।
 4. **उदाहरण के तौर पर यह नमूना पट्टा देखें।**

प्रश्न27: यदि मेरे प्रलेखन में समस्या(एं) हों, तो क्या होगा?

उत्तर27: यदि आपके आवेदनपत्र प्रलेखन के साथ ऐसी समस्याएं हों जिन्हें NJHMFA समीक्षक हल करने में असमर्थ हो, तो आपको ईमेल से सूचित किया जाएगा। समस्या(एं) का समाधान करने के लिए आपके पास अधिसूचना से पाँच कारोबारी दिवस होंगे; हम आपका स्थान इस समाधान अवधि के लिए समीक्षा पंक्ति में रखेंगे, लेकिन आवंटित समय-सीमा के भीतर समाधान करने में विफल रहने से अनुदान प्राप्त करने की आपकी संभावना जोखिम में पड़ जाती है।

प्रश्न28: यदि मेरे किराएदार के किराए के भुगतान का तरीका नकद हो, तो क्या होगा?

उत्तर28: यदि आपका किराएदार किराए का भुगतान नकद रूप से करता हो, तथा आपके पास अपने किराएदार के नकद किराए के बैंक स्टेटमेंट में जमा करने का प्रमाण हो, तो उस किराएदार की इकाई तब प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी यदि उसकी इकाई अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करती हो। अगर आवेदक केवल नकद भुगतान का उपयोग करते हैं जो कि जमा नहीं हैं, तो बैंक विवरणों के अलावा, आवेदक को मकान मालिक और किराएदार द्वारा हस्ताक्षरित नोटरी रसीदें जमा करनी होंगी।

प्रश्न29: क्या मैं आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के बाद इसमें परिवर्तन या सुधार कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर29: जी नहीं, आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के बाद आप इसमें परिवर्तन या सुधार नहीं कर सकते। प्रस्तुत किए जाने के बाद आप अपने आवेदनपत्र पर एकमात्र कार्रवाई यही कर सकते हैं कि आप NJHMFA समीक्षकों द्वारा आपके प्रलेखन में पहचानी गई समस्या(ओं) का समाधान सकते हैं, जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया गया है।

प्रश्न30: कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के लिए मैं कहां जाऊं?

उत्तर32: आवेदनपत्र पोर्टल लॉन्च होने के बाद, इसे [NJHMFA की SLEG कार्यक्रम वेबपेज](#) के जरिए नेविगेट करके पाया जा सकता है।

प्रश्न31: आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए आवेदन अवधि क्या है?

उत्तर31: पोर्टल सोमवार, 28 सितंबर, 2020 को दोपहर 12 बजे EST पर खुलेगा और 13 अक्टूबर, 2020 को शाम 4 बजे EST पर बंद होगा।

प्रश्न32: अगर मैंने चरण 1 के लिए आवेदन किया था तो क्या मैं SLEG चरण 2 के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हूँ?

उत्तर32: आप केवल उन इकाइयों के लिए SLEG चरण 2 में सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्हें चरण 1 में अवार्ड नहीं मिला था।

Top

आवेदन समीक्षा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न33: यदि NJHMFA समीक्षक मेरे द्वारा वेब प्रपत्र में डाली गई तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखन में प्रस्तुत सूचनाओं के बीच विसंगति पाते हैं, तो क्या होगा?

उत्तर33: NJHMFA आपके द्वारा प्रदान किए गए प्रलेखन का प्रयोग आपके आवेदनपत्र की सूचनाओं के आधिकारिक स्रोत के रूप में करेगा। यदि NJHMFA के समीक्षक आपके प्रलेखन में समस्या(ओं) की पहचान करते हैं, तो वे समस्या(ओं) को दुरुस्त करने के लिए आपको पाँच कारोबारी दिवस की उपचार अवधि प्रदान करेंगे।

प्रश्न34: अगर आवेदन के साथ आने वाली समस्या को दूर करने के लिए मुझसे कहा जाता है तो क्या उसका अर्थ यह है कि मुझे निधीयन प्राप्त हो रहा है?

उत्तर34: आवश्यक नहीं है NJHMFA के समीक्षक उस समय समस्या को दूर करने के लिए कहेंगे जबकि उन्हें आपके आवेदन के बारे में किसी चीज को स्पष्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। पात्र और संपूर्ण आवेदन को प्राप्त करने के बाद ही समीक्षक आपके आवेदन के परिणाम के बारे में निर्धारण करने में सक्षम होंगे।

प्रश्न35: लाभ की द्विरावृत्ति क्या है?

उत्तर35: आवेदन पर आपको लाभों की द्वािरावृत्ति (DOB) प्रश्न का उत्तर देने की ज़रूरत पड़ेगी जो NJHMFA को बताएगा कि क्या आपने अन्य केयर्स (CARES) ऐक्ट-पोषित कार्यक्रमों के लिए आवेदन किया है। डीओबी उस समय उपस्थित होती है जबकि संस्था एक ही उद्देश्य के लिए अनेक स्रोतों से सहायता प्राप्त करती है। डीओबी से बचने के लिए NJHMFA उसी ज़रूरत के लिए प्राप्त अन्य सहायता की धनराशि के द्वारा धनराशि से SLEG अनुदान राशि में कमी लाएगी। अगर आवश्यकता प्रदान की गई समस्त सहायता से अधिक है तो कोई भी डीओबी नहीं है।

Top

निर्णय अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न36: आवेदनपत्रों पर किस क्रम में कार्रवाई की जाएगी?

प्रश्न36: यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आवेदकों के पास संपूर्ण आवेदनपत्र प्रस्तुत करने का समान अवसर हो, हम उस क्रम को बेतरतीब करने के लिए कंप्यूटर कार्यक्रम का प्रयोग करेंगे, जिसमें आवेदनपत्रों की समीक्षा की जाती है और उन्हें प्रदान किया जाता है।

प्रश्न37: मेरे आवेदनपत्र पर कार्रवाई किए जाने में कितना समय लगेगा?

उत्तर37: NJHMFA यथाशीघ्र SLEG आवेदनपत्रों पर कार्रवाई करने का इरादा रखता है, तथा आपके आवेदनपत्र की स्थिति पर आपको नवीनतम जानकारी देने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। दुर्भाग्य से, फिलहाल, हम आवेदनपत्र प्रॉसेसिंग के लिए समय का अनुमान देने में असमर्थ हैं। फिर भी, अपने ईमेल स्पैम या जंक फोल्डर की जांच अवश्य करें ताकि हमारा कोई संदेश न छूटे। आप अपने आवेदनपत्र की स्थिति पर नियमित नवीनतम जानकारी के लिए अपने खाते में भी लॉग इन कर सकते हैं।

प्रश्न38: क्या मैं अपने आवेदनपत्र की स्थिति की ऑनलाइन जांच कर सकूंगा/सकूंगी?

उत्तर 38: जी हाँ, आप आवेदनपत्र पोर्टल के जरिए अपने आवेदनपत्र की स्थिति की ऑनलाइन जांच कर सकेंगे। NJHMFA आपको आवेदनपत्र पोर्टल तथा ईमेल के जरिए भी सूचित करेगा। कृपया अपने जंक अथवा स्पैम फोल्डरों की जांच करना सुनिश्चित करें।

प्रश्न39: इस अनुदान की मंजूरी मिलने पर मुझे धनराशि कैसे मिलेगी?

उत्तर39: यदि NJHMFA समीक्षकों द्वारा आपके अनुदान आवेदनपत्र को सशर्त अनुमोदित किया गया है, तो आपको आवेदनपत्र पोर्टल के जरिए सूचित किया जाएगा तथाईमेल के माध्यम से सतर्क किया जाएगा। इस बिंदु पर, NJHMFA आपसे आवेदनपत्र पोर्टल के जरिए बैंक के ब्यौरे मांगेगा। आपको निम्नलिखित उपलब्ध कराने की ज़रूरत होगी:

- आपके बैंक का नाम और पता
- आपके बैंक की रूटिंग संख्या (ABA संख्या)
- आपका बैंक खाता नंबर और भुगतानकर्ता का नाम, जैसा कि खाते में दिखाई देता है।

आप अपने चेकों के नीचे इन संख्याओं को पा सकते हैं। संख्याओं का पहला सेट बैंक की रूटिंग संख्या होती है तथा दूसरा सेट आपकी खाता संख्या होती है। कृपया सभी अग्रवर्ती शून्य शामिल करें।

इन सूचनाओं को बताते हुए, आपके बैंकिंग ब्यौरों के लिए सहायक प्रलेख, जैसे आपके बैंक का रद्द किए गए चेक अथवा पुष्टि/पत्र की भी इस बार आवश्यकता पड़ेगी।

अनुरोध की गई किसी भी जानकारी को दर्ज करने के लिए आपके पास पांच व्यावसायिक दिन होंगे। यदि इस समय-सीमा के भीतर आप पोर्टल पर अपने ब्यौरे अपलोड करने में असफल रहते हैं, तो आप अपना अवार्ड प्राप्त करने का अपना अवसर गंवा सकते हैं।

प्रश्न40: मेरे द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने के बाद क्या होता है?

उत्तर40: आपकी किराए की संपत्ति में सहायता-प्राप्त इकाइयों में किराएदारों को यह सुनिश्चित करने के लिए आपके पुरस्कार के बारे में मेल द्वारा सूचित किया जाएगा कि आप बकाया पिछले किराए और अप्रैल और जुलाई 2020 के बीच उनकी इकाई में संचित विलंब शुल्कों को माफ कर रहे हैं।

प्रश्न41: यदि मेरा आवेदनपत्र अस्वीकृत हो जाता है, तो क्या मैं कोई अपील दाखिल कर सकता/सकती हूँ?

प्रश्न41: आवेदकों को इनकार पत्र में सूचित किया जाएगा कि किसी अपील पर विचार किया जाएगा अथवा नहीं, यदि विचार किया जाएगा, तो किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अपना पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदकों के पास NJHMFA के यहाँ अपील दायर करने के लिए 5 कारोबारी दिवस होंगे।

निधियन की उपलब्धता का नोटिस

संक्षिप्त विवरण

9 मार्च, 2020 को, COVID-19 प्रकोप का निराकरण करने के लिए राज्य की समन्वित अनुक्रिया के अंग के रूप में, राज्यपाल मर्फी (Governor Murphy) ने कार्यकारी आदेश 103 जारी किया, जिसमें इसका प्रसार रोकने के लिए आपातकाल की स्थिति तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। इसके बाद 19 मार्च, 2020 को कार्यकारी आदेश 106 जारी किया गया, जिसमें पुरोबंध (foreclosures) तथा बेदखली पर स्थगन की घोषणा की गई एवं कार्यकारी आदेश 119, 138, 151 तथा 162 के द्वारा आपातकाल की स्थिति को बढ़ा दिया गया।

COVID-19 महामारी के सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा वित्तीय दोनों प्रभावों ने पूरे राज्य के मकान मालिकों तथा किरायेदारों को सुभेद्य स्थिति में डाल दिया है। कई किरायेदार आपातकाल के दौरान अपने आवास की लागत वहन करने में असमर्थ रहे हैं; न्यू जर्सी के किरायेदारों द्वारा गैर-भुगतान अप्रैल में 12% से बढ़कर जून में 25% हो गया। दूसरी ओर, मकान मालिकों ने किराया आय खो दी तथा बहु-पारिवारिक आवासीय संपत्तियों का सामान्य संचालन बनाए रखने के लिए संघर्ष किया।

लघु मकान मालिक COVID-19 आर्थिक मंदी के नकारात्मक प्रभावों के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य हैं, क्योंकि कम आय वाले किराएदार तथा जोखिम वाले उद्योगों में काम करने वाले किराएदार किराये के छोटे भवनों पर गैर-आनुपातिक रूप से काबिज़ हैं। इसके अलावा, छोटे अपार्टमेंट भवनों में वित्तीय नुकसान बर्दाश्त करने की वित्तीय क्षमता होने की संभावना कम होती है तथा संघीय स्तर पर दी जाने वाली आवास सहायता एवं सहनशीलता कार्यक्रमों के लिए पात्र होने की संभावना कम होती है। यहां तक कि किराये की किसी छोटी संपत्ति में एक या दो इकाइयों के किराए का अस्थायी गैर-भुगतान किसी संपत्ति की वित्तीय स्थिति

तथा संचालन को खतरे में डाल सकता है। अंत में, क्योंकि न्यू जर्सी के किराये के स्टॉक में मुख्यतः छोटी इमारतों का समावेश है, इसलिए COVID-19 आपातकाल के दौरान छोटी संपत्तियों की सहायता करना महत्वपूर्ण है।

30 जुलाई, 2020 को, न्यू जर्सी आवास एवं बंधक वित्त एजेंसी (New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency-NJHMFA) बोर्ड ने लघु मकान मालिक आपातकालीन अनुदान (Small Landlord Emergency Grant-SLEG) कार्यक्रम के सृजन का अनुमोदन किया—जो किराए की आय में COVID-19 के कारण अप्रैल और जुलाई 2020 के बीच चार महीने की अवधि में किराए की कमी के संबंध में छोटे मकान मालिकों को प्रतिपूर्ति करने के लिए एक आपातकालीन अनुदान निधियन कार्यक्रम है। सहायता प्राप्त करने वाले मकान मालिकों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने किरायेदारों को इस अवधि के दौरान संचित बकाया किराए तथा विलंब शुल्क को माफ करके उन्हें ये लाभ प्रदान करें। 25 सितंबर 2020 को, NJHMFA बोर्ड ने स्वीकार किए जाने वाले आवेदनों के दूसरे दौर के लिए भत्ते को मंजूरी दी। इस राउंड के लिए फंडिंग, \$10 मिलियन से अधिक नहीं होगी, यह कोरोनावायरस रिलीफ फंड से आएगी, जैसा कि संघीय कोरोनावायरस सहायता, राहत, और आर्थिक

प्रयोजन

इस SLEG कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे मकान मालिकों को उनकी संपत्तियों की गुणवत्ता एवं वित्तीय स्थिति बनाए रखने में सहायता करना है (जैसे, प्रचालन की लागत, साथ ही बंधक और ऋण सेवा के भुगतान में सहायता करके)। दूसरा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य COVID-प्रभावित किराएदारों के कार्यकाल की सुरक्षा के लिए सहायता करना है; बकाया किराए को आंशिक या पूर्ण रूप से माफ करने से राज्यव्यापी बेदखली स्थगन समाप्त हो जाने के बाद, गैर-भगतान के कारण किराएदार की बेदखली का जोखिम कम हो जाता है। SLEG कार्यक्रम किराये की ऐसी छोटी संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जहां राज्य में कम तथा मध्यम-आय वाले अधिकांश किराएदार रहते हैं। दूसरा दौर तीन से 30 इकाइयों वाले भवनों के लिए खुला है।

पात्र प्रयोग तथा अनुदान की धनराशि

SLEG कार्यक्रम के तहत, एक सफल आवेदक COVID-19 आपातकाल के फलस्वरूप गंवाए गई किराया आय की प्रतिपूर्ति के लिए एक अवार्ड प्राप्त करेगा। इसमें कोई पूर्व-निर्दिष्ट अनुदान न्यूनतम अथवा अधिकतम पुरस्कार की धनराशि नहीं है। कार्यक्रम के अवार्ड प्राप्तकर्ता अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 के बीच किराये की संपत्ति में हुई कुल किराए की कमी की धनराशि में एकबारगी, एकमुश्त अनुदान भुगतान प्राप्त करेंगे। कुल संपत्ति किराए में कमी की गणना, इस समयावधि के दौरान संपत्ति में हर "COVID- प्रभावित इकाई" में अनुभव की गई शुद्ध किराए में कमी को जोड़कर की जाती है। कोई COVID- प्रभावित इकाई वह है जिसने अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच शुद्ध किराया कमी का अनुभव किया है, तथा जिसमें कम-से-मध्यम किराया

पात्रता

SLEG कार्यक्रम का पात्र होने के लिए, आवेदक तथा आवेदक की किराये की संपत्ति को पात्रता के निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

- आवेदक न्यू जर्सी में कम से कम एक छोटे आवासीय किराये की संपत्ति (जैसे, सहस्वामित्व या सहकारी) का प्राथमिक संपत्ति स्वामी हो तथा NJMFA के आवास विभाग राज्य के गठौं पंजीकृत हो।
 - NJHMFA, NJDCA की पंजीकरण निरीक्षण प्रबंधन प्रणाली (RIMS) में बकाया जीवन सुरक्षा कोड उल्लंघनों के लिए संपत्ति की जांच करेगा।
- आवेदक सरकारी कंपनी या सार्वजनिक आवास प्राधिकरण नहीं है।
- आवेदक सारे राज्य तथा स्थानीय कर दायित्वों पर सामयिक हो।

- आवेदक की संपत्ति में कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक कल 30 आवासीय इकाइयां हों।
- आवेदक की संपत्ति कोई मौसमी अथवा अवकाश किराए की संपत्ति न हो।
- आवेदक की संपत्ति में कम से कम एक **गैर-खाली** "COVID-प्रभावित" इकाई शामिल हो, जिसमें अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच शुद्ध किराए की कमी रही हो। इसका अर्थ यह है कि इस चार महीने की अवधि में किराएदार से बकाया किराए का निम्न से मध्यम स्तर हो (अर्थात्, नीचे के चार्ट में सूचीबद्ध धनराशि से कम या बराबर किराया हो)। अधिकतम किराया किराए के ऐसे स्तर पर आधारित होता है, जो ऐसे परिवार के लिए वहनीय हो जो क्षेत्र की माध्यिका आय का 80% कमाता हो। कृपया ध्यान दें कि यदि किसी इकाई में उसके बेडरूम के आकार के लिए सीमा से अधिक किराया हो, तो वह इकाई सहायता के लिए *अपात्र* है। कोई आंशिक सहायता नहीं दी जाएगी।

बेडरूम के आकार के अनुसार अधिकतम किराया सीमा						
किराये की संपत्ति की क्लासिफिकेशन	स्टूडियो	1 बेडरूम	2 बेडरूम	3 बेडरूम	4 बेडरूम	5 बेडरूम
एटलांटिक काउंटी	1,182	1,266	1,518	1,754	1,956	2,159
बर्गन काउंटी	1,504	1,611	1,932	2,232	2,490	2,748
बर्लिंगटन काउंटी	1,354	1,450	1,740	2,010	2,242	2,474
कैमडेन काउंटी	1,354	1,450	1,740	2,010	2,242	2,474
केप मे काउंटी	1,202	1,288	1,546	1,785	1,992	2,197
कंबरलैंड काउंटी	1,028	1,102	1,322	1,527	1,704	1,880
एसेक्स काउंटी	1,496	1,603	1,924	2,222	2,478	2,735
ग्लोसेस्टर काउंटी	1,354	1,450	1,740	2,010	2,242	2,474
हडसन काउंटी	1,382	1,480	1,776	2,051	2,288	2,525
हंटरडन काउंटी	1,674	1,793	2,152	2,486	2,774	3,060
मर्सर काउंटी	1,564	1,676	2,012	2,324	2,592	2,861
मिडलसेक्स काउंटी	1,674	1,793	2,152	2,486	2,774	3,060
मॉनमाउथ काउंटी	1,532	1,642	1,970	2,276	2,540	2,802
मॉरिस काउंटी	1,496	1,603	1,924	2,222	2,478	2,735
ओशन काउंटी	1,532	1,642	1,970	2,276	2,540	2,802
पसाडक काउंटी	1,504	1,611	1,932	2,232	2,490	2,748
सलेम काउंटी	1,354	1,450	1,740	2,010	2,242	2,474
सॉमरसेट काउंटी	1,674	1,793	2,152	2,486	2,774	3,060
ससेक्स काउंटी	1,496	1,603	1,924	2,222	2,478	2,735
यनियन काउंटी	1,496	1,603	1,924	2,222	2,478	2,735
वारेन काउंटी	1,448	1,552	1,862	2,151	2,400	2,648

पात्रता की ऐसी अतिरिक्त अपेक्षाएं लागू की जा सकती हैं, जो कि संघीय CARES अधिनियम से संबंधित किसी भी लागू संघीय अपेक्षाओं पर आधारित होंगी तथा इनमें निम्नलिखित और ऐसी अन्य चीजें शामिल हैं: लाभों के दोहराव पर प्रतिबंध जो ऐसे संभावित आवेदकों को बाहर कर सकता है जो संघीय सहायता पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, साथ ही यह अपेक्षा कि आवेदक आगे यह दर्शाए कि उस पर COVID-19 के नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।

आवेदकों को उपर्युक्त निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अलावा यह प्रमाणित करना होगा कि यदि उनका आवेदनपत्र सफल होता है, तो वे SLEG-प्रतिपूर्त इकाइयों में किरायेदारों द्वारा किराये के भुगतान में चूक के आधार पर बेदखली की कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे। आवेदकों को यह भी प्रमाणित करना होगा कि वे SLEG-प्रतिपूर्त इकाइयों में किरायेदारों द्वारा अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच संचित बकाया किराए का चुकाने की मांग नहीं करेंगे। इस प्रमाणन के किसी भी सारभूत उल्लंघन के फलस्वरूप NJHMFA इस अनदान की वापस अदायगी की मांग कर सकता है।

आवेदनपत्र प्रक्रिया

आवेदकों को SLEG आवेदनपत्र प्लेटफॉर्म पर किसी मान्य ईमेल पते का प्रयोग करके एक खाता बनाना होगा। पंजीकरण कराने के लिए, आवेदकों को किसी ऐसे ईमेल खाते का प्रयोग करना चाहिए जिस तक उनकी नियमित पहुंच हो, क्योंकि NJHMFA के कर्मचारी आवेदक से संवाद करने के लिए विशेष रूप से इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करेंगे। कोई खाता बनाने के बाद, आवेदक अपनी किराए की संपत्ति के लिए कोई आवेदनपत्र तैयार और प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदक के पास कई पात्र संपत्तियां हों, तो उसे हर संपत्ति के लिए एक अलग आवेदनपत्र प्रस्तुत करना होगा। हर आवेदनपत्र को कई सूचनाओं की जरूरत होती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं पर इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- आवेदक की करदाता पहचान संख्या और भरा गया [IRS प्रपत्र W-9](#)। संपत्ति के पते समेत किराए की संपत्ति के बारे में विवरण। DCA के पंजीकरण निरीक्षण प्रबंधन प्रणाली (RIMS) डेटाबेस के भीतर जीवन सुरक्षा कोड उल्लंघन के लिए पात्र संपत्तियों की समीक्षा की जाएगी। 22 सितंबर, 2020 तक पात्र संपत्तियों का पंजीकरण, निरीक्षण होना चाहिए और
- COVID-19 प्रकोप से चार महीने पहले (दिसंबर 2019 से मार्च 2020) की अवधि तथा COVID-19 प्रकोप के ठीक बाद चार महीने की अवधि (अप्रैल 2020 से जुलाई 2020) का आपकी संपत्ति के किराए की आय का एक वित्तीय लेखा।

दी गयी सूचनाओं को सत्यापित करने के लिए आवेदकों को तीन तरह के प्रलेख देने होंगे:

- **W-9 कर प्रपत्र**
 - किराए की प्रत्येक संपत्ति के लिए, आपको भरे गए W-9 कर प्रपत्र को अपलोड करना चाहिए, जो कि किराए की परियोजना के लिए प्रयुक्त कर पहचान संख्या को सूचीबद्ध करता है। यह प्रपत्र IRS [यहाँ](#) है।
 - भरी गई कर पहचान संख्या वाले इस प्रपत्र की आवश्यकता NJHMFA को इस बात की पुष्टि करने के लिए होती है कि आप वर्गीकृत करदाता की तरह कोई कर बकाया नहीं है।
 - कर पहचान संख्या वह संख्या है जिसका उपयोग संघीय और / या न्यू जर्सी आयकर उद्देश्यों के लिए इस किराए की परियोजना की आय की रिपोर्ट करते समय किया गया है। कर पहचान के किराये के इतिहास के आधार पर कर पहचान संख्या किसी व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा संख्या या व्यवसाय की नियोक्ता पहचान संख्या हो सकती है। कृपया इस किराये की परियोजना के लिए
- बैंक विवरण या वित्तीय लेनदेन के अन्य प्रमाण। इन रिकार्डों में COVID के प्रकोप से पहले की समयावधि और COVID-19 के प्रकोप के बाद की चार माह बाद की अवधि का ब्यौरा अवश्य होना चाहिए: दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तथा अप्रैल से जुलाई 2020. विवरणों को पहली अवधि में भुगतान तथा दूसरी अवधि में गैर-या कम भुगतान दर्शाते हुए स्पष्ट रूप से इन दो समयावधि के बीच किराये की आय में हानि को दर्शाना चाहिए। आवेदकों को अपने

वित्तीय रिकार्डों पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि NJHMFA के समीक्षक वेब पर कि क्लिक भाग में क्लिक करें तथा प्रॉपर्टी में क्लिक करें तथा वेब पर उभारने दें।

- ऐसे मामलों में जहां केवल नकदी का उपयोग किया जाता है, आवेदक को मकान मालिक और किराएदार के रूप में सूचीबद्ध करना चाहिए।
- पट्टा(टेटे)। आवेदकों को उस हर COVID-प्रभावित इकाई के लिए एक हालिया, निष्पादित पट्टा अपलोड करना चाहिए, जिसके लिए आवेदक आवेदन कर रहा है, और जिसमें किराए की धनराशि सूचीबद्ध हो। यदि आवेदक की COVID-प्रभावित इकाई (इकाइयों) ने दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच किराएदारी में किसी परिवर्तन का अनुभव किया हो, तो उनको इस समयवधि में निष्पादित सभी पट्टों को शामिल करना होगा।

आवेदनपत्र की समीक्षा तथा निधियन का संवितरण

आवेदन पोर्टल **28 सितंबर 2020 को दोपहर 12 बजे EDT खुलेगा** और **13 अक्टूबर 2020 को शाम 4 बजे EDT तक** खुला रहेगा। आवेदनपत्र पोर्टल बंद होने के बाद, आवेदनों की समीक्षा कंप्यूटर-बेतरतीब क्रम से की जाएगी तथा पात्रता एवं पूर्णता के आधार पर अवाई किया जाएगा।

NJHMFA ऑनलाइन आवेदनपत्र अंग्रेजी तथा स्पेनिश में उपलब्ध कराएगा। NJHMFA ने कम से कम 10 निम्नलिखित अतिरिक्त भाषाएं बोलने वालों की सहायता करने के लिए भाषांतर सेवाओं का अनुबंध किया है: अरबी, मंदारिन, कैंटोनीज़, गुजराती, हिंदी, इतालवी, कोरियाई, पोलिश, पुर्तगाली तथा टैगालॉग। आवेदनपत्र के अनूदित संस्करण इस पोर्टल के लॉन्च होने से पहले ही SLEG कार्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। आवेदक एक कारोबारी दिवस के भीतर किसी ऐसे प्रतिनिधि से कॉल प्राप्त करने के लिए languagehelp@njhmfa.gov से संपर्क कर सकते हैं जो उनके साथ उनकी प्राथमिक भाषा में बात कर सकते हैं।

प्रस्तुत करने के बाद, पात्रता तथा पूर्णता के लिए आवेदनपत्र की समीक्षा की जाएगी। वेब प्रपत्र में प्रविष्ट सूचनाओं को सत्यापित करने के लिए, NJHMFA उपलब्ध कराए गए प्रलेखन का प्रयोग करेगा। यदि NJHMFA के समीक्षक प्रलेखन में मुद्दे (मुद्दों) की पहचान करते हैं, तो वे आवेदक को आवेदनपत्र पोर्टल के जरिए सचेत करेंगे, जिस बिंदु पर आवेदक के पास मुद्दे (मुद्दों) को दुरुस्त करने के लिए पांच कार्यदिवसों की अवधि होगी। यदि आवेदक ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह अनुदान सहायता प्राप्त करने का अपना अवसर गंवा सकता है।

आवेदनपत्र पोर्टल के जरिए आवेदकों को सूचित किया जाएगा कि क्या उनके आवेदन को अवाई के लिए चुना गया है, किसी प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, अथवा नकार दिया गया है। अवाई के लिए चुने गए सभी आवेदकों को अनुवर्ती भुगतान के लिए अपने बैंकिंग ब्यौरे (बैंक का नाम, खाता तथा रूटिंग संख्या) अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अपना बैंकिंग ब्यौरा आवेदनपत्र पोर्टल में दर्ज करने के लिए आवेदक के पास पांच कार्यदिवस होंगे। यदि इस समय-सीमा के भीतर वह इस पोर्टल पर अपना ब्यौरा अपलोड करने में असफल रहता है, तो वह अनुदान सहायता प्राप्त करने का अपना अवसर गंवा सकता है। अनुदान आवेदन के अंतिम अनुमोदन पर निधि वितरण किया जाएगा। भुगतान संवितरित हो जाने के बाद, NJHMFA मेल के जरिए SLEG-प्रतिपूर्त इकाइयों में रहने वाले किरायेदारों को सचेत करेगा। किराएदारों को पत्र यह स्पष्ट करेगा कि वे बकाया पिछले किराए और अप्रैल और जुलाई 2020 के बीच उपार्जित हुए विलंब शुल्कों को भरने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

शुल्क

इस कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय कठिनाई को संबोधित करना है, और इसलिए, इस कार्यक्रम के लिए NJHMFA द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

अतिरिक्त सूचना

लघु भूस्वामी आपातकालीन अनुदान कार्यक्रम के दूसरे दौर की अतिरिक्त जानकारी www.njhousing.gov/rentals/sleg पर प्राप्त की जा सकती है।

SLEG कार्यक्रम प्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं? 866-280-9756 पर हमारे हॉटलाइन टोल-फ्री पर फोन करें, या ईमेल करें: sleg@njhmfa.gov.